निदेशालय,

।। गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर ।।

फोन :– 0141–2614771, ,फैक्स : 0141–2603407, ई–मेल : cd.hghq.rj@nic.in
Website : http://home.rajasthan.gov.in/homeguards

क्रमांक : गृरमु/2021/ 24159 दिनांक : 10-09-2021

स्थाई आदेश सं. : 06/2021

राजस्थान गृह रक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के नियम 30 के अनुसार राजस्थान गृह रक्षा विभाग के सीमा गृह रक्षा दल की बटालियनों व शहरी/ग्रामीण गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों में आरक्षी, आरक्षी वाहन चालक, आरक्षी ड्रम मैन एवं आरक्षी बिगुलर आदि पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु राजस्थान गृह रक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के नियम 30 के अनुसार भर्ती प्रक्रिया के लिये निम्न स्थाई आदेश प्रसारित किये जाते है। यह आदेश भविष्य में होने वाली सभी आरक्षी, आरक्षी वाहन चालक, आरक्षी ड्रम मैन एवं आरक्षी बिगुलर की भर्तियों पर लागू होगा। इस आदेश में उल्लेखित राज्य सरकार के विभिन्न आदेशों/परिपत्रों/नियमों में राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाले सभी प्रकार के संशोधन तदानुसार उपरोक्त वर्णित भर्ती प्रक्रिया में भी प्रभावी होगें।

1. रिक्तियॉ का निर्धारण :

भर्ती प्रक्रिया आरम्भ करने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी राजस्थान गृह रक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के नियम 16 के अनुसरण में रिक्त पदों का निर्धारण करेगा।

2. रिक्तियों में आरक्षण :–

a) राजस्थान गृह रक्षा अधीनस्थ सेवा नियम–2021 के नियम 8 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावेगी।

b) बांरा जिले के किशनगंज एवं शाहबाद उपखण्ड में सहरिया आदिम जाति के अभ्यर्थियों को कार्मिक विभाग के निर्देश क्रमांक प.13 (20) क–2/91 पार्ट दिनांक 21.05.2013 के अनुसार आरक्षण देय होगा।

c) टी.एस.पी. क्षेत्र के अनुसचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ13(20) कार्मिक (क–2) 91पार्ट दिनांक 04.07.2016 के प्रावधानानुसार आरक्षण देय होगा।

d) भूतपूर्व सैनिकों के लिए :

राजस्थान गृह रक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के नियम–13, कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5(18) डीओपी/ए–2/84 पार्ट–2 दिनांक 17.04.2018 के बिन्दु संख्या–6 नियम –6 (बी), कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प–5 (18) डीओपी/क–2/84 पार्ट दिनांक 22.08.2019 जो कि परिपत्र दिनांक 16.08.2016 के अतिक्रमण में जारी किया गया है एवम् राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन नियम 1968 के नियम 2(5) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावेगी।

e) **महिलाओं के लिए :**

राजस्थान गृह रक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के नियम–11, राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.7 (2) डी.ओ.पी./ए–2/88/ पार्ट–I दिनांकः 22.12.2015 एवम् राज्य सरकार के परिपत्र कमांकः एफ.7 (2) डी.ओ.पी./क–2/96/पार्ट दिनांकः 13.01.2016 के अनुसार की जायेगी।

f) **उत्कृष्ठ खिलाडियों के लिए :**

कार्मिक विभाग के परिपत्र कमांकः प. 7 (2) कार्मिक/क–2/19 दिनांकः 24.02.2020 एवम् राजस्थान गृह रक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के नियम 12 के प्रावधान के अनुसार उत्कृष्ठ खिलाडियों के लिए भर्ती वर्ष की कुल रिक्तियों (तकनिकी/सामान्य) का 2 प्रतिशत आरक्षण देय होगा।

g) **पिछड़ा वर्ग (OBC) और अति पिछड़े वर्ग (MBC) के लिए :**

राज्य सरकार की अधिसूचना कमांकः एफ. 7 (1) डी.ओ.पी./क–2/2017 दिनांकः 13.02.2019 एवम् परिपत्र कमांकः प. 7 (2) कार्मिक/क–2/ 19 दिनांकः 24.02.2020 पिछडे वर्गो और अति पिछड़े वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती के समय प्रवृत्त विधि के उपबंध के अनुसार होगा। किसी वर्ग–विशेष में पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों के पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को सामान्य वर्ग से भरा जायेगा।

h) **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए :**

कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांकः एफ. 7 (1) डी.ओ.पी./क–2/2019 दिनांकः 20.10.2019 एवम् परिपत्र कमांकः प. 7 (2) कार्मिक/क–2/19 दिनांकः 24.02.2020 के अनुसार सामान्य वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनकी वार्षिक आय 8.00 लाख रूपये से कम है, उन्हे आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी मानते हुए 10 प्रतिशत आरक्षण देय होगा।

3. आयु तथा आयु में छूट :

(a) राजस्थान गृह रक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के नियम 17 के प्रावधान अनुसार आरक्षी पद के लिए अभ्यर्थी की आयु भर्ती वर्ष के आगामी 01 जनवरी को कम से कम 20 वर्ष एवं 25 वर्ष से अधिक न हो।

(b) आयु में छूट राजस्थान गृह रक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के नियम 17 के अनुसार अधिकतम आयु में छूट निम्नानुसार देय होगी :–

(i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछडा वर्ग/ सहरिया/अति पिछड़ा वर्ग के पुरूष एवं सामान्य/आर्थिक पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी।

(ii) अनुसूचित जाति/अनुसचित जन जाति/पिछड़ा वर्ग/एम.बी.सी. की महिलाओं के लिए अधिकतम 10 वर्ष की छूट होगी।

(iii) भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

(iv) एन.सी.सी. केडिटस को उनके द्वारा एन.सी.सी. प्रमाण पत्र के आधार पर आयु सीमा में छूट अधिकतम् 03 वर्ष देय होगी।

(v) राजस्थान गृह रक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के नियम 17 (IV) के अनुसार होम गार्ड स्वंय सेवकों के लिए अधिकतम् आयु सीमा 40 वर्ष होगी। आयु सीमा में छूट की गणना राजस्थान गृह रक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के प्रावधानों के तहत की जायेगी।

(vi) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी भर्ती से संबंधित मानदण्ड (Norms) लागू होंगे।

4. **शारीरिक मापदण्ड :**

अभ्यर्थियों की ऊंचाई व सीने का न्यूनतम माप एवम् वजन राजस्थान गृह रक्षा अधीनस्थ सेवा नियम-2021 के नियम-20 के तहत निम्नानुसार होना अनिवार्य होगा :-

मापदण्ड	सामान्य		बारां जिले के सहरिया अभ्यर्थियों हेतु		पहाड़ी/जनजाति क्षेत्र के अभ्यर्थियों हेतु	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
न्यूनतम ऊंचाई	168 से.मी.	152 से.मी.	160 से.मी.	145 से.मी.	160 से.मी.	140 से.मी.
सीना (केवल पुरुषों के लिए)	बिना फुलाए-81 से.मी. फुलाने पर-86 से.मी. (सीने का कम से कम फुलाव 5 से.मी.)	लागू नहीं	बिना फुलाए-74 से.मी. फुलाने पर-79 से.मी. (सीने का कम से कम फुलाव 5 से.मी.)	लागू नहीं	बिना फुलाए-79 से.मी. फुलाने पर-84 से.मी. (सीने का कम से कम फुलाव 5 से.मी.)	लागू नहीं
वजन (केवल महिलाओं के लिए)	लागू नहीं	47.5 कि.ग्रा.	लागू नहीं	43 कि.ग्रा.	लागू नहीं	43 कि.ग्रा.

नोट :

अनुसूचित जाति या यथास्थिति अनुसूचित जन जातियों के उपयुक्त अभ्यर्थी अपेक्षित संख्या में न हो तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उन अभ्यर्थियों को जिनकी न्यूनतम ऊँचाई 163 से. मी. (पुरुष) एवम् 147 से.मी. (महिला) तथा उन पुरुष अभ्यर्थियों का न्यूनतम सीने का माप 76 बिना फुलाये एवम् 81 फुलाने पर ही शारीरिक रूप से उपयुक्त समझा जावेगा (सीने का फुलाव कम से कम 5 से.मी. होना आवश्यक है)।

5. शैक्षणिक और तकनिकी अर्हताएं तथा अनुभव :

राजस्थान गृह रक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के Schedule-I एवम् Schedule-II के कम संख्या 4 के प्रावधानानुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार होगी :–

पद	शैक्षणिक और तकनिकी अर्हताएं तथा अनुभव
आरक्षी	1. किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय/बोर्ड से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण या 2. सम्यक्‌रूप से सेवोन्मुक्त भूतपूर्व सैनिक।
ड्रम मैन/बिगुलर	1. किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय/बोर्ड से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण या सम्यक्‌रूप से सेवोन्मुक्त भूतपूर्व सैनिक 2. बिगुल/ड्रम बजाने का अनुभव।
आरक्षी वाहन चालक	1. किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय/बोर्ड से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण साथ में भारी या हल्के मोटर यानों का ड्राईविंग लाइसेंस तथा ड्राईवर के रूप में 3 वर्ष का अनुभव और चश्में सहित या बिना चश्में की दृष्टि 6X6 या 2. सम्यक्‌रूप से ड्राईवर व्यवसाय से सेवोन्मुक्त भूतपूर्व सैनिक साथ में भारी या हल्के मोटर यानों का ड्राईविंग लाईसेंस और चश्में सहित या बिना चश्में की दृष्टि 6X6

नोट :

जो अभ्यर्थी न्यूनतम शैक्षणिक और तकनिकी अर्हताएं तथा अनुभव की निर्धारित परीक्षा में अध्ययनरत है वे भी इस भर्ती हेतु आवेदन कर सकते है परन्तु उन्हे शारीरिक मापदण्ड परीक्षा के समय न्यूनतम शैक्षणिक और तकनिकी अर्हताएं तथा अनुभव परीक्षा उत्तीर्ण होने का मूल प्रमाण पत्र/अंक तालिका प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

6. भर्ती का स्थान :

लिखित एवं शारीरिक मापदण्ड परीक्षा का स्थान व परीक्षा केन्द्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार तत्समय पर निर्धारित किया जावेगा।

7. आवेदन प्रकिया :

(a) राजस्थान गृह रक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के नियम 23 की पालना में आवेदन प्रकिया हेतु मुख्य समाचार पत्रों एवं https://home.rajasthan.gov.in/homeguards में विज्ञप्ति जारी की जायेगी। सहरिया क्षेत्र एवं टी.एस.पी. क्षेत्रों में भी पर्याप्त प्रचार किया जावेगा, जिससे इस क्षेत्र के अभ्यर्थी भी समय पर आवेदन कर सके।

(b) भर्ती हेतु आवेदन पत्र ऑनलाईन (Online Application Form) आमंत्रित किये जावेगें एवं ऑनलाईन आवेदन–पत्र विभाग की वेबसाईट https://home.rajasthan.gov.in/homeguards पर उपलब्ध होगा जो कि CSC, ई–मित्र अथवा अन्य ऑनलाईन माध्यम से भरे जा सकेंगे।

(c) आवेदन शुल्क नियमानुसार एवम् राज्य सरकार की स्वीकृति के अनुरूप होगा।

(d) विभाग द्वारा हस्तलिखित/ऑफलाईन आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(e) राजस्थान गृह रक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के नियम 27 के प्रावधान अनुसार अपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं परीक्षा शुल्क वापिस नहीं लौटाया जावेगा।

(f) परीक्षा शुल्क जमा कराने के उपरान्त आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में भरे गये ई–मेल आईडी एंव मोबाईल नम्बर पर सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र जमा हो गया है।

8. भर्ती हेतु चयन प्रकिया :

आरक्षी पद पर चयन राजस्थान गृह रक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के नियम 32 के प्रावधानानुसार किया जायेगा। आरक्षी, आरक्षी वाहन चालक/बिगुलर/ड्रममैन की भर्ती हेतु परीक्षा के कुल 160 अंक निम्नानुसार निर्धारित किये जाते हैं:–

(अ) आरक्षी

लिखित परीक्षा	शारीरिक दक्षता परीक्षा	विशेष योग्यता	कुल
120	20	20	160

(ब) आरक्षी वाहन चालक, आरक्षी ड्रममैन, आरक्षी बिगुलर :

लिखित परीक्षा	शारीरिक दक्षता परीक्षा	तकनिकी योग्यता	विशेष योग्यता	कुल
120	10	15	15	160

चयन प्रकिया को निम्नानुसार पाँच चरणों में पूर्ण किया जावेगा :–

प्रथम चरण : लिखित परीक्षा

लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 120 अंको का होगा जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार (objective type) के 120 प्रश्न होंगे तथा लिखित परीक्षा की समयावधि 02 घन्टे की होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक देय होगा। गलत उत्तर देने पर प्रश्न के लिए निर्धारित अंक का एक चौथाई अंक काटा जायेगा। यह परीक्षा आर्फलाईन तथा ओ.एम. आर.आधारित (Offline and OMR based) होगी। प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम, अंको का विवरण एंव प्रत्येक भाग के प्रश्नों की संख्या निम्नानुसार होगी :–

लिखित परीक्षा का सिलेबस	कुल प्रश्न	पूर्णांक
अ – विवेचना एवम तार्किक योग्यता	30	30
ब – सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान एवम् समसामयिक विषयों पर	30	30
स – राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति एवं आर्थिक स्थिति इत्यादि	60	60
योग	120	120

(a) इस लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को कुल 40 प्रतिशत अंक, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति वर्ग के अभ्यर्थियों को कुल 36 प्रतिशत अंक, समग्र रूप में प्राप्त करना अनिवार्य है।

(b) ट्राईबल सब–प्लान क्षेत्र के स्थानीय अभ्यर्थी एवम् बारां जिले के सहरिया आदिम जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम् उत्तीर्णांक (Minimum) सीमा लागू नहीं होगी।

(c) भूतपूर्व सैनिकों को लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सम्बन्धित वर्ग के सफल अभ्यार्थियों के न्यूनतम उत्तीर्णांक में 5 प्रतिशत शिथिलन राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ–5 (18) डीओपी/ए–2/84/पार्ट–2 दिनांक 17.04.2018 के बिन्दु संख्या –9 में वर्णित नियम–18 ए (i) के अनुसार देकर उत्तीर्णांक तय किया जावेगा।

(d) लिखित परीक्षा के पश्चात प्रश्न–पत्र सम्बन्धी आपत्तियॉ आमन्त्रित करने हेतु पृथक से सूचित किया जावेगा।

(e) लिखित परीक्षा में पदवार/वर्गवार/महिला/पुरूष रिक्तियों के पांच गुणा अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण किया जायेगा जिसकी सूचना एवं परिणाम वेबसाईट https://home.rajasthan.gov.in/homeguards पर देखी जा सकेगी। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक अन्तिम चयन के लिए सम्मिलित किए जाएंगे।

द्वितीय – चरण : शारीरिक मापदण्ड एवम् शारीरिक क्षमता परीक्षा

राजस्थान गृह रक्षा अधीनस्थ सेवा नियम–2021 के तहत महानिदेशक गृह रक्षा द्वारा आवश्यकतानुसार एक अथवा दो बोर्ड का गठन किया जाकर लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों को निर्धारित स्थान पर शारीरिक क्षमता परीक्षा (PET) एवम् शारीरिक मापदण्ड परीक्षा (PST) हेतु उपस्थित होना होगा। शारीरिक क्षमता परीक्षा (PET) में सफल अभ्यर्थियों को ही शारीरिक मापदण्ड परीक्षा (PST) में सम्मिलित किया जायेगा।

(अ) शारीरिक क्षमता परीक्षा (PHYSICAL EFFICIENCY TEST) :–

भर्ती बोर्ड लिखित परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों की शारीरिक क्षमता परीक्षा (PET) लेगा। अभ्यर्थी को शारीरिक क्षमता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। सफल घोषित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक अन्तिम चयन के लिए सम्मिलित किये जायेगें। PET टैस्ट में भाग लेने के दौरान किसी भी अप्रिय घटना हेतु प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। शारीरिक क्षमता परीक्षा (PET) में अयोग्य अभ्यर्थी असफल माना जावेगा। शारीरिक क्षमता परीक्षा (PET) में दौड़ हेतु मात्र एक ही अवसर प्रदान किया जावेगा तथा इसके विरूद्व कोई याचिका (APPEAL) दायर करने का अवसर देय नहीं होगा। आरक्षी, आरक्षी वाहन चालक/ड्रमैन/बिगुलर पद हेतु 05 किलो मीटर दौड़ का आयोजन किया जावेगा, जिसके अंक निम्नानुसार होंगे :–

(a) आरक्षी — अधिकतम 20 अंक

वर्ग	दौड़	समय	प्राप्तांक
पुरूष	5 किमी	20 मिनट व 20 मिनट से कम पर	20
		20 मिनट से अधिक एवं 22 मिनट तक	15
		22 मिनट से अधिक एवं 25 मिनट तक	10
महिला	5 किमी	26 मिनट व 26 मिनट से कम पर	20
		26 मिनट से अधिक एवं 28 मिनट तक	15
		28 मिनट से अधिक एवं 30 मिनट तक	10
भूतपूर्व सैनिक	5 किमी	25 मिनट व 25 मिनट से कम पर	20
		25 मिनट से अधिक एवं 26.30 मिनट तक	15
		26.30 मिनट से अधिक एवं 28 मिनट तक	10
सहरिया एंव टीएसपी क्षेत्र के एसटी/एससी	5 किमी	26 मिनट व 26 मिनट से कम पर	20
		26 मिनट से अधिक एवं 28 मिनट तक	15
		28 मिनट से अधिक एवं 30 मिनट तक	10

(b) आरक्षी वाहन चालक/ड्रमैन/बिगुलर — अधिकतम 10 अंक

वर्ग	दौड़	समय	प्राप्तांक
पुरूष	5 किमी	20 मिनट व 20 मिनट से कम पर	10
		20 मिनट से अधिक एवं 22 मिनट तक	7
		22 मिनट से अधिक एवं 25 मिनट तक	5
महिला	5 किमी	26 मिनट व 26 मिनट से कम पर	10
		26 मिनट से अधिक एवं 28 मिनट तक	7
		28 मिनट से अधिक एवं 30 मिनट तक	5
भूतपूर्व सैनिक	5 किमी	25 मिनट व 25 मिनट से कम पर	10
		25 मिनट से अधिक एवं 26.30 मिनट तक	7
		26.30 मिनट से अधिक एवं 28 मिनट तक	5
सहरिया एंव टीएसपी क्षेत्र के एसटी/एससी	5 किमी	26 मिनट व 26 मिनट से कम पर	10
		26 मिनट से अधिक एवं 28 मिनट तक	7
		28 मिनट से अधिक एवं 30 मिनट तक	5

(i) आवेदकों को PET में सम्मिलित होने से पूर्व राजकीय चिकित्सक से दौड़ में भाग लेने हेतु शारीरिक रूप योग्य होने का प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ii) गर्भवती महिलाओं को शारीरिक क्षमता परीक्षा (PET) एवम् शारीरिक मापदण्ड परीक्षा (PST) में सम्मिलित नहीं होने की सलाह दी जाती है। उन्हे आउटडोर (PET/PST) परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी। तथापि अगर गर्भवती महिला इस परीक्षा में शामिल होने के लिए स्वयं भर्ती बोर्ड के समक्ष उपस्थित होती है, तो भर्ती बोर्ड उक्त महिला अभ्यर्थी को उसके द्वारा लिखित परीक्षा में अर्जित अंको के आधार पर PET/PST परीक्षा में भाग लेने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करने पर निर्णय लेने में सक्षम होगा।
ऐसे अभ्यर्थी को प्रसव होने के दो माह के भीतर PET/PST करवाने के लिए प्रार्थना पत्र देना होगा, ऐसा नही कर पाने की स्थिति में अभ्यर्थी की पात्रता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

(iii) भर्ती बोर्ड द्वारा प्रतिदिन दौड आयोजित करने से पूर्व, मैदान की स्थिति का उचित निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करेगा। मैदान की उपयुक्तता के सम्बन्ध में बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा।

(ब) शारीरिक मापदण्ड परीक्षा (PHYSICAL STANDARD TEST) :–

(a) भर्ती बोर्ड शारीरिक क्षमता परीक्षा (PET) में सफल रहे अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदण्ड परीक्षा (PST) लेगा। शारीरिक मापदण्ड परीक्षण (PST) उपरोक्त वर्णित बिन्दु संख्या–4 के अनुसार किया जायेगा। पुरूष अभ्यर्थियों को ऊँचाई व सीने के माप तथा महिला अभ्यर्थियों की ऊँचाई व वजन के माप हेतु बुलाया जावेगा।

(b) भर्ती बोर्ड द्वारा शारीरिक मापदण्ड के लिए उपस्थित अभ्यर्थियों को उनके मापदण्ड से अवगत करा कर उनके हस्ताक्षर करायेगा। अभ्यर्थी यदि हस्ताक्षर करने से मना करता है तो बोर्ड सदस्य इस बाबत् अपनी टिप्पणी अंकित करेगा। चयन बोर्ड की यह जिम्मेदारी होगी कि जो अभ्यर्थी PST में छूट प्राप्त कर उत्तीर्ण हो रहा है, उसे भी पूर्ण रूप से सूचित करेंगे तथा उसके हस्ताक्षर लेंगे।

(c) निर्धारित मानक पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा।

(d) शारीरिक मापदण्ड (PST) में अपील का प्रावधान :

(i) शारीरिक मापदण्ड (PST) में असफल अभ्यर्थियों को भर्ती बोर्ड द्वारा अपील करने का एक अवसर प्रदान किया जावेगा। शारीरिक मापदण्ड में असफल रहे असन्तुष्ट अभ्यर्थी भर्ती बोर्ड के समक्ष निर्धारित प्रक्रिया अनुसार नकद रूपये 500/– शुल्क जमा कराकर उसी दिन अपील कर सकता है, जिसकी प्राप्ति रसीद सम्बन्धित को दी जावेगी। अभ्यर्थी यदि अपील शारीरिक मापदण्ड में सफल होता है तो उससे लिया गया शुल्क वापिस करते हुए उसे चयन प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा। असफल रहने की स्थिति में यह शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

(ii) उपरोक्त अपील की कियान्विती के लिए भर्ती बोर्ड के साथ राजकीय वरिष्ठ चिकित्सकों का मेड़िकल बोर्ड रहेगा, अपील उसी दिन पूर्ण की जायेगी तथा समस्त अपील के दस्तावेजों पर मेड़िकल बोर्ड एवम् चयन बोर्ड के हस्ताक्षर मय सील होंगे।

(iii)स्थानीय चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य अधिकारी से समन्वय स्थापित कर सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी राजकीय वरिष्ठ चिकित्सकों के मेड़िकल बोर्ड का गठन किया जायेगा, जिसमें एक फिजिशियन, एक सर्जन एवम् एक हड्डी रोग विशेषज्ञ चिकित्सक होगा। सीने की माप में अल्प समय में परिवर्तन होने की सम्भावना रहती है। अतः अभ्यर्थी को किसी प्रकार का नुकसान न हो इसलिए उसी दिन गठित मेड़िकल बोर्ड से मापदण्ड करवाई जाएगी तथा यह मापदण्ड ही अन्तिम मानी जायेगी।

(iv) बोर्ड के समक्ष अपील किये जाने वाले अभ्यर्थियों की कार्यवाही की स्पष्ट वीड़ियोग्राफी होगी तथा बोर्ड प्रोसिडिगं के साथ अलग से परिशिष्ठ होगा, जिसमें अपील करने वाले की पूर्ण सूचना होगी। अपील के पश्चात् हुई मापदण्ड पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होगें।

(v) शारीरिक मापदण्ड के बाद प्रवेश पत्र पर एक सील लगाई जायेगी, जिसमें छूट प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए (PST Pass With Relexation) एवम् बिना छूट प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए (PST Pass Without Relexation) अंकित होगा।

नोट :

शारीरिक मापदण्ड परीक्षण की अपील के सम्बन्ध में भर्ती बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

तृतीय चरण : तकनिकी योग्यता परीक्षा

(अ) तकनिकी योग्यता परीक्षा (आरक्षी वाहन चालक, आरक्षी ड्रममैन, आरक्षी बिगुलर) हेतु :– अधिकतम 15 अंक

(अ) शारीरिक मापदण्ड एवम् शारीरिक क्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण आरक्षी वाहन चालक, आरक्षी ड्रममैन, आरक्षी बिगुलर पद के अभ्यर्थियों हेतु तकनीकी योग्यता परीक्षा आयोजित की जाएगी जो 15 अंको की होगी। उक्त योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40 प्रतिशत, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 36 प्रतिशत, ट्राईबल सब–प्लान क्षैत्र के स्थानीय सामान्य, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति अभ्यर्थियों के लिए 30 प्रतिशत एवं बारां जिले के सहरिया आदिम जाति के अभ्यर्थियों के लिए 25 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(ब) तकनिकी योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंक अन्तिम चयन हेतु सम्मिलित किये जायेगे।

कानिस्टेबल ड्राईवर पद के अभ्यर्थी की वाहनों से सम्बन्धित तकनिकी जानकारी, वाहनों के रख–रखाव एवम् वाहन चलाने सम्बन्धी परीक्षा ली जाएगी। आरक्षी, आरक्षी वाहन चालक, आरक्षी ड्रमगैन, आरक्षी बिगुलर पद की दक्षता परीक्षा में निर्धारित उपरोक्तानुसार प्राप्तांक अर्जित नहीं करने पर ऐसे अभ्यर्थी अयोग्य माने जायेगें तथा भर्ती की अग्रिम चयन प्रकिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(स) आरक्षी (वाहन चालक) के लिए :

(a) दक्षता परीक्षा के अन्तर्गत वाहन चालक व वाहन रख–रखाव हेतु निम्नलिखित व्यवहारिक परीक्षण सम्मिलित किये जायेगें :–

	अधिकतम	15 अंक
(i) स्टॉप टैस्ट (Stop Test)	संलग्नक A के अनुसार	03 अंक
(ii) स्टेरिगं परीक्षा (Steering Test)	संलग्नक B के अनुसार	03 अंक
(iii) स्लैलोम सर्किट टैस्ट (Slalom Test)		03 अंक
(iV) भारी वाहन चलाने (driving of Heavy Vehicles Test) का अनुभव (भारी वाहन चलाने की अनुज्ञप्ति का प्राधिकार)		03 अंक
(V) वाहन में 03 साधारण यांत्रिक और इलेक्ट्रोनिक व्यवधान को दूर करने का टैस्ट (Removing three simple mechanical and Electrical faults in the vehicle)		03 अंक

(b) निम्न कारणों से अभ्यर्थी अनुतीर्ण किये जायेंगे :

(i) यदि अभ्यर्थी द्वारा वाहन का बुनियादी संचालन सुचारू रूप से न हो।

(ii) वाहन संचालन तथा ब्रेक लगाते समय अभ्यर्थी द्वारा वाहन पर उचित नियंत्रण न हो।

(iii) अभ्यर्थी द्वारा बाधाओं को टक्कर मारने पर।

(iv) स्लैलोम सर्किट को पास नहीं करने पर।

(द) आरक्षी (ड्रमगैन/बिगुलर) के लिए निम्नलिखित पृथक–पृथक व्यावहारिक टेस्ट किए जायेंगे।

आरक्षी (ड्रमगैन/बिगुलर)	अधिकतम	15 अंक
(i) ड्रमवाद्य/बिगुल/ड्रम की धुन बजाना		08 अंक
(ii) ड्रमवाद्य/बिगुल/आदि के रखरखाव का ज्ञान		07 अंक

चतुर्थ चरण : विशेष योग्यता

(a) दस्तावेजों की जाँच :

अभ्यर्थियों से उनके मूल दस्तावेज जैसे : मूल निवास प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र (ग्राम पंचायत/स्थानीय निकाय/विद्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र/ सैकेण्डरी प्रमाण पत्र), जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, चालक अनुज्ञप्ति (DRIVING LICENCE), तकनिकी योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र (शादी शुदा अभ्यर्थियों के लिए) एवम् अन्य विशेष योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्राप्त किये जावेगें तथा इनका सत्यापन किया जायेगा। सत्यापन प्रकिया पूर्ण होने के पश्चात् अभ्यर्थियों को उनके मूल दस्तावेज लौटा कर उनकी छाया प्रति बोर्ड् प्रोसिडिंग्स के साथ संलग्न कर दी जायेगी।

(b) विशेष योग्यता (आरक्षी, आरक्षी वाहन चालक, आरक्षी ड्रममैन, आरक्षी बिगुलर) हेतु :

आरक्षी, आरक्षी वाहन चालक, आरक्षी ड्रममैन, आरक्षी बिगुलर के अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित योग्यताओं में से अभ्यर्थियों की विशेष योग्यता के अंको की गणना होगी।

आरक्षी सामान्य पद के अभ्यर्थियों को शारीरिक क्षमता एवम् मापदण्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त विशेष योग्यता हेतु प्रमाण पत्रों के आधार पर निम्नानुसार एन.सी. सी. का अनुभव, होम गार्ड सेवा का अनुभव व कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान आदि के आधार पर अंक प्रदान किये जायेगें, परन्तु सामान्य आरक्षी पद के अभ्यर्थियों का इन विशेष योग्यताओं के लिए अधिकतम 20 अंक देय होंगे। आरक्षी वाहन चालक एवम् ड्रममैन, बिगुलर पद के अभ्यर्थियों को एन.सी.सी. अनुभव एवम् होम गार्ड के अनुभव की विशेष योग्यता के आधार पर अधिकतम 15 अंक प्रदान किये जायेंगे।

(a) NCC का अनुभव — अधिकतम 05 अंक

क.स.	प्रमाण पत्र की श्रेणी	अंक
1.	सी – प्रमाण पत्र	5
2.	बी – प्रमाण पत्र	4
3.	ए – प्रमाण पत्र	3

(b) होम गार्डस का अनुभव — अधिकतम 10 अंक

क.स.	सेवा अवधि	अंक
1.	होम गार्ड में निरन्तर 05 वर्ष तक सेवा देने पर	10
2.	होम गार्ड में निरन्तर 03 वर्ष तक सेवा देने पर	8
3.	होम गार्ड में निरन्तर 02 वर्ष तक सेवा देने पर	6

(c) कम्प्यूटर योग्यता — अधिकतम 05 अंक

कम्प्यूटर शिक्षा हेतु R.K.C.L. (Rajasthan knowledge Corporation Ltd.) द्वारा प्रदत्त RS-CIT (Rajasthan State Certificate Course in Info.Tech) प्रमाण–पत्र अथवा राष्ट्रीय इलैक्ट्रोनिकी एवम् सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (NIELIT), भूतपूर्व DOEACC Society द्वारा 03 माह या अधिक अवधि के प्रशिक्षण पश्चात प्रदत्त कम्प्यूटर शिक्षा सम्बन्धी प्रमाण पत्र अथवा NCVT (National Council for vocational Training) से मान्यता प्राप्त आई.टी.आई. संस्थानों द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर शिक्षा सम्बन्धी प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।

पंचम चरण : संयुक्त चयन सूची

(a) अभ्यर्थियों द्वारा समग्र प्रकार (लिखित परीक्षा, शारीरिक मापदण्ड, शारीरिक क्षमता परीक्षा, तकनिकी योग्यता परीक्षा, विशेष योग्यता) के प्राप्तांकों के आधार पर प्रत्येक स्तर पर वर्गवार रिक्त पदों के अनुरूप वरीयताक्रम में चयन सूची राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ–7 (1) डीओपी / ए–2/99 दिनांक 26.07.2017 में निहित प्रावधानानुसार तैयार की जावेगी। राज्य सरकार का उक्त परिपत्र चयन प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर प्रभावी रहेगा।

(b) वरियता सूची तैयार करते समय समान प्राप्तांको के मामले में अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी। इसी प्रकार प्राप्तांक एवं आयु समान होने पर अधिक शैक्षणिक योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी तथा शैक्षणिक योग्यता भी समान होने पर विशेष योग्यता के अंको के आधार पर वरीयता दी जायेगी यदि तत्पश्चात् भी प्राप्तांक समान होते है तो उनके नाम मैरिट में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अंकित किये जायेंगे।

(c) **चयन प्रक्रिया के विशेष बिन्दु :–**

(i) सामान्य श्रेणी के विरूद्ध पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति श्रेणी के अभ्यर्थियों का चयन राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 7(1)कार्मिक/ए/99 दिनांक 26.07.2017 के अनुसार ही मान्य है अर्थात यदि पिछडा वर्ग, अनु.जाति/अनु.जनजाति वर्ग के किसी अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रकार की विशेष छूट (परीक्षा शुल्क को छोड़कर) जैसे :– आयु सीमा, शारीरिक मापदण्ड में छूट प्राप्त नहीं की गई हो एवम् ऐसे अभ्यर्थी द्वारा सामान्य श्रेणी में अन्तिम सफल अभ्यर्थी से अधिक अंक प्राप्त किये गए हो, तो ऐसे अभ्यर्थी को चयन सूची में पिछडा वर्ग, अनु.जाति/अनु.जनजाति वर्ग में न मानकर सामान्य श्रेणी में माना जावेगा।

(ii) अनु.जाति/अनु.जन जाति के अभ्यर्थियों को शारीरिक मापदण्ड परीक्षा में नियमानुसार छूट मात्र उसी स्थिति में देय होगी जब अनु.जाति/अनु.जन जाति के अन्य अभ्यर्थी निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण नहीं कर पाते है।

(iii) भर्ती बोर्ड का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह ऐसे अभ्यर्थियों जिनके द्वारा शारीरिक मापदण्ड में छूट प्राप्त की गई है तथा वे अभ्यर्थी जिनके द्वारा किसी भी प्रकार की छूट प्राप्त नहीं की गई है, इनको पृथक करेंगे साथ ही उन्हें शारीरिक मापदण्ड परीक्षा (P.S.T.) में दी जा रही छूट के बारे में अवगत कराकर उनके हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे।

जिन अभ्यर्थियों को शारीरिक मापदण्ड में छूट दी गई है उन्हें चयन सूची में तभी सम्मिलित किया जायेगा जब उस वर्ग के अन्य अभ्यर्थी जिनके द्वारा किसी भी प्रकार की छूट नहीं ली गई, पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होंगे।

(iv) जिन अभ्यथियों को शारीरिक मापदण्ड में छूट दी गई है उन्हें चयन सूची के वरियता कम में बिना छूट वाले अभ्यर्थियों के नीचे दर्शाया जावेगा।

(v) अन्य पिछड़ा वर्ग के योग्य एवं पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नही होने की स्थिति में उस वर्ष की रिक्तियों को सामान्य वर्ग से पूर्ति की जावेगी।

(vi) अनु.जाति/अनु.जनजाति के योग्य एवं पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नही होने की स्थिति में उन रिक्त पदों को अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेपित किया जावेगा। इसी प्रकार सहरिया आदिवासी क्षेत्र के अनु.जाति एवं अनु.जनजाति के अभ्यर्थियों के अनुपलब्ध होने की स्थिति में उस वर्ष की रिक्तियों को अन्य अनु.जाति/अनु.जनजाति के अभ्यर्थी से नहीं भरा जाएगा।

(vii) सफल अभ्यर्थियों की संयुक्त चयन सूची राजस्थान गृह रक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के नियम 29 के तहत महानिदेशक महोदय के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जावेगी। महानिदेशक के अनुमोदन पश्चात् इस चयन सूची को जारी कर निदेशालय एवं सम्बन्धित ईकाईयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की ज़ावेगी एवं विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशित की जावेगी।

(viii) भर्ती उपरान्त यदि कोई सफल अभ्यर्थी किन्हीं कारणों से अयोग्य घोषित होता है या निर्धारित अवधि में उपस्थिति (Joining) नहीं देता है तो संयुक्त सूची की मेरिट अनुसार अगले अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान की जा सकेगी। समस्त रिक्त पदों की पूर्ति उपरान्त यह संयुक्त सूची स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी।

8. स्वास्थ्य परीक्षण :

(a) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संयुक्त चयन सूची की घोषणा (Declaration) के तुरन्त बाद समस्त सफल अभ्यर्थियों द्वारा राजकीय चिकित्सीय समिति से स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जायेगा। इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा एवम स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्साधिकारी के माध्यम से मेड़िकल बोर्ड का गठन किया जायेगा, जो कि Annex.-D के अनुसार अपनी मेड़िकल रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(b) चिकित्सा अधिकारी द्वारा मेड़िकल रिपोर्ट में अनफिट किये गये अभ्यर्थियों की श्रेणी निम्नानुसार होगी :–

(i) स्थाई रूप से अयोग्य (Permenant unfit) : जिन अभ्यर्थियों को स्थाई रूप से अयोग्य घोषित किया जायेगा वे भविष्य में पुनः इस प्रकार की भर्ती में भाग लेने के लिये भी वंचित किये जायेंगे।

(ii) अस्थाई रूप से अयोग्य (Temporary unfit) : इन अभ्यर्थियों को दी गई अस्थाई अयोग्यता को दूर करने के लिये 6 माह का समय दिया जायेगा। इन्हें 6 माह पूरे होने से पूर्व अपने योग्य होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित अवधि में मेडिकली फिट पाये जाने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र होंगे।

(c) वे अभ्यर्थी जो स्वास्थ्य परीक्षण के निर्धारित मानक पूर्ण नहीं करते तथा निर्धारित समयावधि में पुनः परीक्षण में भी मेड़िकली फिट नहीं पाए जाते तो नियुक्ति के लिए उनकी उम्मीदवारी समाप्त मानी जाएगी।

9. दस्तावेजों की जांच :

(a) अभ्यर्थियों से उनके मूल दस्तावेज जैसे : मूल निवास प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र (ग्राम पंचायत/स्थानीय निकाय/विद्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र/सैकेण्डरी प्रमाण पत्र), जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, चालक अनुज्ञप्ति (DRIVING LICENCE), तकनिकी योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र (शादी शुदा अभ्यर्थियों के लिए) एवम् अन्य विशेष योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्राप्त किये जावेंगे तथा इनका सत्यापन किया जायेगा। सत्यापन प्रकिया पूर्ण होने के पश्चात् अभ्यर्थियों को उनके मूल दस्तावेज लौटा कर उनकी छाया प्रति बोर्ड् प्रोसिडिंग्स के साथ संलग्न कर दी जायेगी।

(b) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति / पिछड़ा वर्ग के वे सभी अभ्यर्थी जिन्हें सीने तथा ऊँचाई में छूट प्रदान की गई है उसका विवरण स्पष्ट रूप से उनके सेवा रिकार्ड में उल्लेखित किया जावेगा।

10. चरित्र सत्यापन :

चरित्र सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को आवेदन के समय आवेदन पत्र के साथ संलग्न आर.पी. फार्म नम्बर–4 भरना अनिवार्य होगा।

(a) अभ्यर्थी द्वारा भरे गये आवेदन पत्र के साथ संलग्न R.P. Form No. 04 (Verification Roll) के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चरित्र सत्यापन करवाया जायेगा। अतः अभ्यर्थी को यह सलाह दी जाती है कि वह प्रमाण पत्र में वर्णित तथ्यों की सत्यता को पूर्ण महत्व दें अन्यथा असत्य पाये गये तथ्यों के आधार पर अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त कर दी जायेगी।

(b) अपूर्ण तथा छलपूर्वक दिये गये चरित्र प्रमाण पत्रों को निर्णयार्थ गृह रक्षा, निदेशालय को जांच हेतु भिजवाया जावेगा। चरित्र प्रमाण पत्र के समय प्रचलित मानदण्डों के अनुसार अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में निर्णय लिया जाएगा ।

(c) सत्यापन के उपरान्त उपयुक्त पाये जाने वाले अभ्यर्थी को ही राजस्थान गृह रक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के नियम 19 के अनुसार नियुक्ति हेतु पात्र माना जाएगा।

11. नियुक्ति :

राजस्थान गृह रक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के नियम 32 के प्रावधानानुसार संयुक्त वरियता सूची में सफल घोषित अभ्यर्थियों में से वरियतानुसार स्वास्थ्य जाँच, दस्तावेज जाँच व चरित्र सत्यापन सही पाये गये अभ्यर्थियों में वर्गवार योग्यता व रोस्टर अनुसार परिविक्षाधीन के रूप में नियुक्ति प्रदान की जाएगी।

आरक्षण से सम्बन्धित राजस्थान गृह रक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के नियम–8, 9, 10, 11, 12 एवम् 13 के प्रावधानों की पालना करते हुए नियुक्त प्राधिकारी द्वारा उन उम्मीदवारों का चयन किया जायेगा, जो भर्ती बोर्ड द्वारा राजस्थान गृह रक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के नियम–29 के अन्तर्गत तैयार की गई चयन सूची में वरीयता के कम मे उच्च स्थान प्राप्त करेंगे।

12. नियुक्ति हेतु अयोग्यता :

राजस्थान गृह रक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के नियम–19, 21, 22 एवम् 31 के उल्लंघन पर किसी भी अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को अयोग्य घोषित किया जा सकेगा। यदि उक्त गलत सूचना नियुक्ति के बाद भी ज्ञात हुई तो राज्य सेवा से निष्कासन करते हुए नियमानुसार विधि संगत कार्यवाही की जाएगी।

छद्मवेश में कार्य करने अथवा तथ्यात्मक सूचना को छिपाने वाले, जाली दस्तावेज का उपयोग करना दण्डनीय अपराध है। अपराध की गम्भीरता को देखते हुए उन्हें आगामी वर्षों में राज्य सरकार के अधीन किसी पद हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा में प्रवेश करने से स्थाई अथवा विनिर्दिष्ट अवधि हेतु वंचित भी किया जा सकता है। यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध पूर्व में ऐसा आदेश जारी किया गया हो, जिसकी अवधि समाप्त न हुई हो तो वह इस परीक्षा हेतु अपात्र माना जाएगा।

13. पक्षपुष्टि के लिए उपार्थना (Canvassing) :

किसी भी प्रकार की मौखिक अथवा लिखित संस्तुति पर विचार नहीं किया जावेगा। किसी अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार की संस्तुती करवाये जाने पर वह अयोग्य घोषित किया जा सकेगा।

(यू. आर. साहू),
महानिदेशक एवम् महासमादेष्टा,
गृह रक्षा, राजस्थान,
जयपुर।

D:\HARI SINGH ESTT\APPOINTMENT\DIRECT RECRUITMENT.doc

Annexure "A"

Stop test

3 Marks

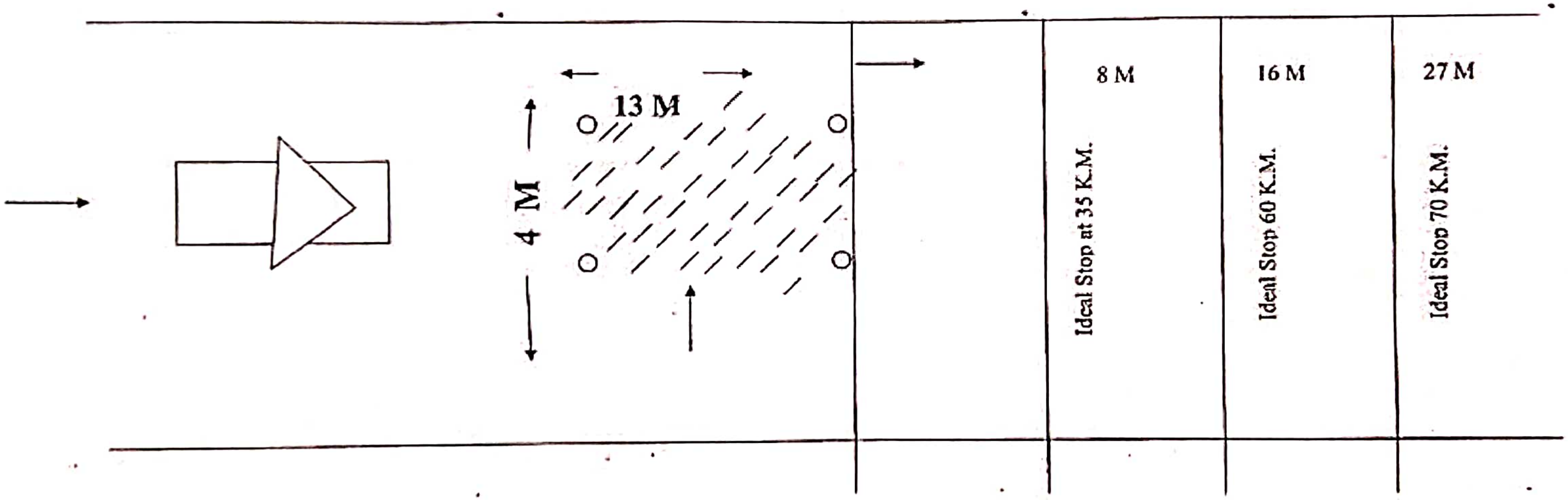

When passing between the first cones, the clutch pedal must be activated and when passing the next cones, the brake pedal must be activated.

Director General & Commandant General
Home Guards, Hqr. Rajasthan,
Jaipur

Annexure "B"

Steering Test 3 Marks

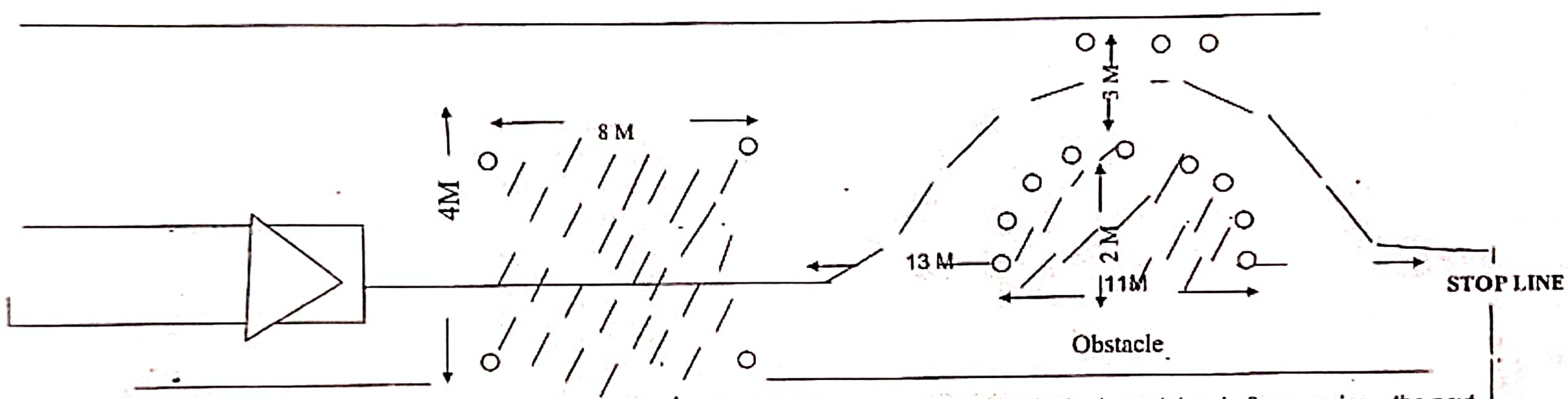

When passing between the first cones, the clutch pedal must be activated and Reducing of speed by the brake pedal and after passing the next cones the obstacle must be avoided by steering control. When passed the obstacle, the vehicle must be brought to a Full stop.

Director General & Commandant General
Home Guards, Hqr. Rajasthan,
Jaipur